2. प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री सीताराम सैनी जरिये असालतन वकालतनामा उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने अपने जबाब मे बताया की अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 3487 / 3402 रकबा 5 बीघा भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जेकाश्त की भूमि है बल्कि उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी सहखातेदार काश्तकार नहीं है उक्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिसकी राज्य सरकार एकमात्र मालिक व स्वामी है । इसिलये उक्त भूमि की की गई तरमीम सही है जिसको प्रार्थी कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनन दुरस्त करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र आम जनता जरिये देवनगर बनकर मान्य न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थी ने सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार आदेश 1 नियम 8 सी. पी. सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की है खसरा नम्बर 2402 रकबा 52 बीघा 6 बिस्वा सिवायचक दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं है। प्रार्थी ने मूल खसरा नम्बर 2402 बताया है। उक्त खसरा नम्बर 2402 से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने मूल खसरा नम्बर 3402 के सहखातेदारों को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त खसरा नम्बर 3402 में से पूर्व खातेदार नानगराम पुत्र भूरा गुर्जर को आवंटन हुई उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.04.2014 को क्रय किया है एवं उक्त आराजी की अप्रार्थी संख्या 2 से विधिवत कब्जेअनुसार तरमीम करवाई है जो सही है। प्रार्थी को मान्य न्यायालय में एल आर एक्ट के तहत कानूनन तरमीम दुरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है प्रार्थी ने बिना विधि के प्रावधानों के तहत ही उक्त प्रार्थना पत्र अपने अधिकारों से परे जाकर प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 की क्रयशुदा एवं कब्जा के अनुसार तरमीमशुदा भूमि से प्रार्थी का कोई कानूनी हक व अधिकार नही बनता है लेकिन प्रार्थी ने अपने हितों व खातेदारी भूमि में निजीहितार्थ के लिये आम जनता का झूठा दावा बनाकर मान्य न्यायायल से वास्तविक तथ्यों को छुपाकर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज हैरान परेशान की नियत से प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पेश किया है। प्रार्शी ने पूर्व खातेदार एवं सह खातेदारान को उक्त प्रार्थना–पत्र में पक्षकार कायम नही किया है इसलिये नॉन जोईन्डर ऑफ पार्टीज के नुक्श में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. अप्रार्थी सं0 2 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया। तथा अपने जवाब में बताया कि ग्राम देवनगर के आराजी ख0न0 3487 / 3402 रकबा 1.2645 है0 किस्म बंजड छीतरलाल पुत्र श्री नारायण हिस्सा पूर्ण जाति माली

उपखण्ड अधिकारी
फागी

vivo U20 · AI Camera 2025.10.07 11:25

की तरमीम प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के रास्ते को अवरूद्ध करते हुये एवं आमजन के पशुओं के चरने की सिवायचक व चारागाह भूमि को बांटकर उत्तर से दक्षिण करवाली जबकि अप्रार्थीसंख्या 1 मौके पर पूर्व से पश्चिम सहआवंटियों के लगवा काबिज काश्त है, इसलिये उक्त तरमीम पूर्व से पश्चिम होनी चाहिये, उक्त तरमीम कब्जे के विपरीत करायी है जो कतई निम्न कारणवश गलत है:– मूल खसरा नम्बर का नक्शा टैस में मात्र खसरा नम्बर 3487/3402 रकबा 5 बीघा की ही तरमीम बिना सहखातेदारों / पडौसी खातेदारों को बिना सूचित करें तरमीम की गई है, जो कानूनन निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर नक्शा र्टस में जो तरमीम की गई है. उस जगह कब्जा काश्त नही है, बिना कब्जा के उक्त तरमीम करायी गयी है जो कानूनन गलत है। खसरा नम्बर 3482/3402 रकबा 5 बीघा सिवायचक भूमि के लगवा खसरा नम्बर 3259 जो कि चारागाह है एवं दूसरी तरफ खसरा नम्बर 285 भी चारागाह है उक्त अवैधानिक की गई तरमीम से खसरा नम्बर 3259 एवं 285 जो कि खसरा नम्बर 3482/3402 के लगवा है को अलग अलग भागो में बांट दिया है। एवं ग्रामवासियों के उक्त चारागाह व सिवायचक के जानवर चरते है इसलिये उक्त तरमीम कानूनन गलत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण की खातेदारी में जाने के लिये खसरा नम्बर 3482/3402 रकबा 5 बीघा सिवायचक भूमि में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में जाने के का रास्ता होते हूये भी रास्ते को अवरूद्ध कर तरमीम की गई है, इसलिये उक्त तरमीम कतई गलत है जो निरस्तनीय है। हाल ही दिनांक 28.08.2014 को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि को सम्भालनें गये तो देखा कि अप्रार्थीगण संख्या। मौके पर प्राथीगण के रास्ते को रोकते हुये डोल डाल रहा था, तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को मना किया तो आग बबूला हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि मैनें तहसीलदार से मिलकर मेरी मनमर्जी से नक्शा ट्रेस राजस्व रेकार्ड में तरमीम करा ली है। और उक्त आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्तियों को बैचान कर तुम्हारें खातेदारी भूमि में आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध करूंगा इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त खसरा नम्बर की अवैधानिक रूप से बिना किसी आदेश एवं प्रार्थीगण के रास्ते को अवरूद्ध करनें की नियत से राजकर्मचारियों से साज कर जो तरमीम करायी गयी है जो कतई गलत है अगर कानूनन उक्त तरमीम को दुरस्त नही किया गया तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने का रास्ता ही अवरूद्ध हो जावेगा, जिससें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को असहनीय हानि होगी और उसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी, तथा अपने वैद्य अधिकारों से वंचित हो जावेगे, ऐसी स्थिति में आवश्यक हुआ कि वह प्रार्थना पत्र बाबत दूरस्त किये जाने तरमीम विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश करें। विवादग्रस्त भूमि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई का अधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

vivo U20 · AI Camera 2025.10.07 11:25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 56/2014
निर्णय दिनांक :– 28.08.2025
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. कानाराम पुत्र श्रीबक्स जाति जाट निवासी देवनगर, लदाना तहसील फागी।
2. बालूराम पुत्र माधो जाति जाट निवासी देवनगर, लदाना तहसील फागी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र नारायण जाति माली निवासी लदाना तहसील फागी।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3. उप पंजीयक फागी तह० फागी जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील प्रार्थी
श्री सीताराम सैनी वकील अप्रार्थी सं0 1

प्रार्थना पत्र किये जाने तरमीम दुरूस्ती

निर्णय दिनांक :– 28.08.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 3482/3402 रकबा 5 बीघा की भूमि जिसकी किस्म सिवायचक है. जिसकें लगवा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3404, 3407, 3406, 284 वगै स्थित है, जो वाके ग्राम देवनगर पटवार हल्का लदाना तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें सिवायचक व चारागाह में आमजनता के पशुओं आदि, चरा करते है। खसरा नम्बर 2402 रकबा 52 वीधा 06 बिस्वा जो कि सिवायचक थीं, जिसमें से 3402/3 कानाराम, रामचंद्र वगै० के पूर्वजों एवं खसरा नम्बर 3402/1 रकबा 16 बीघा, लालाराम, रामस्वरूप, ग्यारसीलाल वरी० को 3402/2 रकबा 8 बीघा शिवदयाल, मांगल चगै० एवं 3481/3402 रकबा 5 बीघा चंदा पुत्र श्रवण वगै को, 3487/3402 रकबा 5 बीधा नानगराम पुत्र भूराराम गुर्जर को आवंटन किया गया था। उक्त मूल खसरा नम्बर 3402 रकबा 52 बीघा 6 बिस्वा में से वर्तमान में 5 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 3487/3402 को कुछ समय पूर्व जरिये विकय पत्र कय किया था कय करनें के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 से साज कर बिना किसी आदेश के उक्त खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

vivo U20 · AI Camera 2025.10.07 11:25

फर्द अहकाम

कानाराम बनाम छीतर

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:- 56/2014

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/5/25	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/6/25 को पेश है।
	13/6/25	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/7/25 को पेश है।
	18/7/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप0। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र हेतु दिनांक 8/8/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
	8/8/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप0। बहस प्रा.पत्र सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/8/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी
	21/8/25	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/8/25 को पेश है।
	28/8/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप0। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया जाता है। प्रार्थीगण का प्रा० पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज से क्रम हो दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी

फागी

vivo U20 · AI Camera 2025.10.07 11:25